



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082022-238454
CG-DL-E-30082022-238454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]
No. 590]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2022/भाद्र 8, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 666(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में, हवलदार के पद से संबंधित क्रम स. (6) के सामने: -
 - स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "लागू नहीं होता" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - स्तंभ (6) में, टिप्पण में प्रविष्टि के स्थान पर, "आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी" प्रविष्टि रखी जाएगी।
 - स्तंभ (7) में, -
 - "और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साईकिल चलाना" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) “और 25 मिनट में 3 किलोमीटर साईकिल चलाना” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. क-12018/12/2013-प्रशा.III.ख]

राजन कुमार झा, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्या सा. का. नि. 979 (अ) तारीख 16 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा. का. नि. 274 (अ) तारीख 22 मार्च, 2017, सा. का. नि. 590 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2019 और सा. का. नि. 322 (अ) तारीख 6 मई, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2022

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, against serial number 6 relating to the post of Havaldar, -

(i) in column (5), for the entry, the entry “Not applicable” shall be substituted;

(ii) in column (6), in the Note, for the words “as fixed”, the words “as advertised” shall be substituted;

(iii) in column (7), -

(a) the words, figures and letters “and cycling 8 kms in 30 min” shall be omitted;

(b) the words, figures and letters “and cycling, 3kms in 25 min” shall be omitted.

[F. No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

Rajan Kumar Jha, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 979 (E), dated the 16th December, 2015 and further amended vide number G.S.R. 274 (E), dated the 22nd March, 2017, G.S.R. 590 (E), dated the 22nd August, 2019 and G.S.R. 322 (E), dated the 6th May, 2021